कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली

पत्रांकः–NHM/NTCP/2021-22 / 4523–34 दिनांक 20/04/2022

प्रेषित,

(1) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
उपजिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग, चमोली।

(2) समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,
सामु0 स्वा0 केन्द्र, जोशीमठ, गैरसैण, पोखरी, घाट, थराली/
प्रा0 स्वा0 केन्द्र दशोली, नारायणबगड़, देवाल जनपद चमोली।

विषयः–राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0) के अन्तर्गत तम्बाकू मुक्त पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि निदेशक,(एन0एच0एम0) के पत्रांक संख्या–UKHFWS /NHM/NCD/NCD/2016/NTCP Letters-III/5198 दिनांक 30/03/2022 के कम में मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0) की State Level Coordination Commite (SLCC) की दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को बैठक आहुत की गयी। कार्यवृत्त के विन्दु संख्या–07 राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड में एक ग्राम पंचायत को तम्बाकू मुक्त उत्तरदायित्व प्रदान करते हुए कार्यवाही की जानी है।

उक्त प्राप्त निर्देशों के कम में राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यकम(एन0टी0सी0पी0)के अन्तर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम कोटपा, 2003 का प्रभावी कियान्वयन हेतु जनपद के समस्त विकासखण्डों के एक ग्राम पंचायत को तम्बाकू मुक्त बनाया जाना है।

अतः आप उक्त निर्देशों के कम में दिनांक 21 अप्रैल 2022 को 11 बजे तक विकासखण्ड से एक ग्राम पंचायत का नाम अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

(डा एस0 पी0 कुडियाल)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चमोली।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

(1)निदेशक, एन0एच0एम0 उत्तराखण्ड देहरादून
(2)प्रभारी अधिकारी, एन0टी0सी0पी0 कार्यकम देहरादून।
(3)नोडल अधिकारी एन0टी0सी0पी0 कार्यकम/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद चमोली।
(4)जिला कार्यकम प्रबन्धक, एन0एच0एम0 चमोली।
(5)सोशियल वर्कर, एन0टी0सी0पी0 कार्यकम चमोली।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चमोली।